पत्रांक :–07/सू०प्रा०–190/2011/ 446

बिहार सरकार

सूचना प्रावैधिकी विभाग

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी
सभी पुलिस उप महानिरीक्षक
सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार।

पटना, दिनांक– 30/03/12

विषयः– **राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सचिवालय सहायकों/पर्यवेक्षकीय संवर्गों एवं समूह "ग" के कर्मियों को कम्प्यूटर सक्षमता हेतु प्रशिक्षण के अनुश्रवण के संबंध में।**

महाशय,

विदित होगा कि राज्य सरकार द्वारा "बिहार सरकारी सेवक(सम्पुष्टि के लिए कम्प्यूटर सक्षमता) नियमावली–2011," अधिसूचना संख्या–1609 दि. 24.05.11(छाया प्रति संलग्न) द्वारा निरूपित किया गया है, जिसमें सचिवालय सहायकों, पर्यवेक्षकीय संवर्गों एवं समूह "ग" कर्मियों, जिनकी सेवा/संवर्ग नियमावली में सम्पुष्टि के लिए कम्प्यूटर सक्षमता में उत्तीर्ण होना आवश्यक है तथा जो सरकारी सेवक पहले से सम्पुष्ट हैं, उन्हें अगली वेतन वृद्धि प्राप्त करने हेतु कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक शर्त के रूप में निर्धारित हो, उनके प्रशिक्षण एवं कम्प्यूटर सक्षमता जाँच हेतु सूचना प्रावैधिकी विभाग को एक Course का विनिश्चय करने तथा अन्य प्रक्रियाओं को निर्धारित करने हेतु अधिकृत किया गया है। अधिसूचना की प्रति संलग्न है।

राज्य सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में विभाग द्वारा NIELIT (Ex. DOEACC Society) के माध्यम से एक पाठ्यक्रय का विनिश्चय किया गया है जिसे "Course on Computer Application & Concept(CCAC)" कहा जाएगा। उक्त पाठ्यक्रम के संचालन तथा सक्षमता की जाँच हेतु परीक्षा के आयोजन तथा इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर प्रक्रियात्मक एवं मार्गदर्शन सिद्धान्त को समाहित करते हुए विभागीय संकल्प–1285 दिनांक 08.11.2011(छाया प्रति संलग्न) निर्गत किया गया है, जिसमें प्रशिक्षण की प्रक्रिया एवं परीक्षा के संचालन के संबंध में विस्तृत अनुदेश उल्लेखित है। उक्त सूचना को विभागीय Website ***www.biharonline.gov.in*** तथा ***http://gov.bih.nic.in*** पर भी देखा जा सकता है।

उपर्युक्त प्रसंगित संकल्प में प्रशिक्षण हेतु आवेदन करने, आवेदन का सक्षम प्राधिकारी द्वारा अग्रसारण करने, प्रशिक्षण एवं परीक्षा शुल्क का चयनित केन्द्र पर भुगतान करने, भुगतान किये गये शुल्क की प्राप्ति रसीद के आधार पर संबंधित स्थापना शीर्ष से राशि की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने, प्रशिक्षण की अवधि एवं परीक्षा में बैठने की प्रक्रिया एवं अनुमान्यता के संबंध में विस्तृत अनुदेश निरूपित किये गये हैं। उक्त प्रावधानों से सभी प्रर्यवेक्षकीय संवर्गों एवं समूह–'ग' के कर्मियों को समुचित रूप से परिचित एवं जागरूक करने हेतु उक्त प्रावधानों के व्यापक प्रचार–प्रसार की भी आवश्यकता है। इस हेतु यह भी अनुरोध है कि जिला में स्थित सभी विभागों के कार्यालय प्रधानों को अपने स्तर से राज्य सरकार के निर्णय एवं इस संबंध में प्रशिक्षण एवं परीक्षा हेतु किये गये व्यवस्था की जानकारी अपने माध्यम से भी परिचालित करने हेतु यथोचित कार्रवाई कृपया की जाय।

o/c

कृ० पृ०............2/–

उपर्युक्त प्रसंग में यह अवगत कराना है कि प्रशिक्षण के संबंध में आवश्यक व्यवस्था NIELIT(Ex. DOEACC Society) द्वारा पूर्ण की जा चुकी है तथा प्रशिक्षण के लिए केन्द्रों का चयन कर लिया गया है, जो कि मुख्य रूप से जिला/अनुमंडल एवं प्रखण्ड मुख्यालयों में अवस्थित हैं। चयनित एवं अधिकृत प्रशिक्षण केन्द्रों की सूची पत्र के साथ संलग्न है तथा इसे www.doeaccpatna.edu.in वेबसाईट पर भी देखा जा सकता है।

प्रशिक्षण हेतु निबंधन (Registration) का कार्य दिनांक 23.03.2012 से प्रारम्भ किया गया है, जो कि एक सतत् प्रक्रिया है। जैसे–जैसे यथोचित संख्या में कर्मियों का निबंधन होगा, वैसे–वैसे विभिन्न चरणों में निर्धारित अधिकृत केन्द्रों पर प्रशिक्षण हेतु सत्र का निर्धारण कर आवश्यक सूचना संबंधित कर्मियों एवं कार्यालय प्रधानों को दे दी जाएगी।

उपर्युक्त संदर्भ में यह भी कहना है कि प्रशिक्षण एवं जाँच परीक्षा कार्यक्रम आपके अधीनस्थ सभी विभागीय कार्यालयों में समन्वित रूप से लागू करने हेतु प्रशिक्षण एवं जाँच परीक्षा की निर्धारित प्रक्रिया से अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारियों को भी कृपया अवगत कराया जाय तथा इस हेतु प्राधिकृत नोडल पदाधिकारी के माध्यम से संबंधित सरकारी सेवकों का चरणबद्ध रूप से प्रशिक्षण सुनिश्चित कराया जाय। राज्य सरकार के उक्त निर्णय से आच्छादित कोटि के कर्मियों को प्रशिक्षण हेतु निर्धारित व्यवस्था का पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके, इस हेतु अपने स्तर से सभी आवश्यक कार्रवाई भी किये जाने का अनुरोध है।

विश्वासभाजन

(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांकः–07/सू०प्रा०–190/2011/ 446 पटना, दिनांकः– 30/03/12

प्रतिलिपिः– सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सूचनार्थ एवं एत्दर्थ कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव